

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 988/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 23 November, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 988/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated:: 23 November, 2017

**THE UTTARAKHAND GOODS AND SERVICES TAX
(REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2017**

Whereas, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), hereinafter in this order referred to as the said Act, in so far as it relates to the provisions of section 10 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, on recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following Order, namely:-

1. This Order may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2017.

2. For the removal of difficulties,-

(i) it is hereby clarified that if a person supplies goods and/or services referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II of the said Act and also supplies any exempt services including services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, the said person shall not be ineligible for the composition scheme under section 10 subject to the fulfilment of all other conditions specified therein.

(ii) it is further clarified that in computing his aggregate turnover in order to determine his eligibility for composition scheme, value of supply of any exempt services including services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account.


(Radha Raturi)
Principal Secretary

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

संख्या 988/2017/9(120)/XXVII(8)/2017

देहरादून:: दिनांक:: 23 नवम्बर, 2017

उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017

जहाँ कि उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06), जिसे एतत् पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाई आई है, जहां तक की इसका संबंध उक्त अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों से है;

अतः अब उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 172 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, परिषद की सिफारिश पर, निम्नलिखित आदेश करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, यथा-

1. इस आदेश को उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017 कहा जाएगा।

2. कठिनाइयों के निवारण के लिए,-

(i) एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी माल और/या उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 6 के उप-वाक्य (ख) में संदर्भित सेवाओं की आपूर्ति करता है और ऐसी कोई छूट प्राप्त सेवाओं की भी आपूर्ति करता है, जिनमें वे सेवाएं भी आती हैं जोकि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं, जहां तक ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कम्पोजिसन स्कीम का तब तक अपात्र नहीं होगा जब तक की इसमें विनिर्दिष्ट अन्य सभी शर्तें पूरी न होती हों।

(ii) अग्रेतर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कम्पोजिसन स्कीम के लिए उसकी पात्रता का निर्धारण करने में उसके सकल कारोबार की गणना करने में किसी छूट प्राप्त सेवा की आपूर्ति के मूल्य को, जिसमें वे सेवाएं भी आती हों जोकि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं जहां तक इसके प्रतिफल की अभिव्यक्ति ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से हुआ हो, शामिल नहीं किया जाएगा।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 988/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन0आई0सी0
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा में,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव